प्रेषक.

आलोक पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद

सेवा में.

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद

विषय – फ्लैट न॰ A-2, 1/4 के॰ डी॰ए रेजीडेन्सी ओ ब्लाक किदवई नगर कानपुर के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूचना।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि के॰ डी॰ए कानपुर द्वारा के॰ डी॰ए रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत (2 बी॰एच॰के + स्टडी रुम) क्षेत्रफल 125.26 वर्ग मी॰ के विक्रय हेतु दिनांक 29/10/2016 को हिन्दुस्तान कानपुर अखबार में विज्ञापन में प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर मेरे द्वारा दिनांक 03/11/2016 को आवेदन दिया गया और अपने भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर के सेलरी एकाउन्ट न॰ 11059305720 के चेक संख्या 049188 दिनांक 3/11/2016 से र॰ 453908/- निकाल कर र॰ 452100/- का ड्राफ्ट संख्या 692492 दिनांक 03/11/2016 के॰डी॰ए कानपुर के नाम बनवा कर जमा किया गया। लॉटरी द्वारा के॰डी॰ए कानपुर द्वारा मुझे फ्लैट न॰ A-2, 1/4 के॰ डी॰ए रेजीडेन्सी ओ ब्लाक किदवई नगर कानपुर आवन्टित किया गया और दिनांक 03/01/2017 को आवन्टन पत्र जारी किया गया।

उक्त फ्लैट को क्रय करने के लिए मेरे द्वारा होम लोन हेतु भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर में दिनांक 30/01/2017 को आवेदन किया गया। दिनांक 09/02/2017 को RACPC भारतीय स्टेट बैंक कानपुर द्वारा रु॰ 3728000/- (होम लोन रु 3616000/- + होम लोन इन्श्योरेन्स रु॰112000/-) के सम्बन्ध में सेन्सन लेटर जारी किया गया। दिनांक 13/02/2017 को रु॰ 3728000/- (होम लोन रु 3616000/- + होम लोन इन्स्योरेन्स रु॰112000/-) के सम्बन्ध में 10 वर्षों के लिए मेरे एवं RACPC भारतीय स्टेट बैंक कानपुर के मध्य एग्रीमेन्ट हुआ। मुझे राउन्ड फिगर में रु॰ 46600/- प्रतिमाह जमा करना था जिसे मैं 15 मार्च 2017 से प्रतिमाह अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट से जमा कर रहा हूं। मेरे द्वारा अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट के चेक संख्या 049200/- दिनांक 13/02/2017 रु॰ 248980/- RACPC भारतीय स्टेट बैंक कानपुर में जमा किये गये। दिनांक 16/02/2017 को RACPC भारतीय स्टेट बैंक कानपुर द्वारा रु

3864980/- (रु॰3616000 होम लोन + रु॰ 248980/- मेरे द्वारा जमा) उक्त फ्लैट के लिए के॰ डी॰ए कानपुर में जमा किये गये।

दिनांक 27/07/2019 को के॰ डी॰ए कानपुर द्वारा रु॰ 54500/- की धनराशि जमा करने के लिए पत्र जारी किया गया। मेरे द्वारा अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट के चेक संख्या 598277 दिनांक 07/08/2019 से 54775/- निकाल कर रु॰ 54500/- का ड्राफ्ट संख्या 688517 दिनांक 07/08/201 के॰ डी॰ए कानपुर के नाम बनाकर दिनांक 13/08/2019 को के॰ डी॰ए कानपुर में जमा किया गया।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के द्वारा वेतन वृद्धि होने पर मुझे रु॰ 1793666/- एरियर दिनांक 15/09/2023 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मेरे द्वारा अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट के चेक संख्या 427419 दिनांक 26/09/2023 से रु॰ 458827 (रु॰ 100000/- प्राइम लोकेशन चार्ज + रु॰ 45750/- कॉर्पस फन्ड + रु॰ 135281/- मेन्टीनेन्स चार्ज + रु॰ 177296/- फ्री होल्ड + रु॰ 500/- अन्य) के॰ डी॰ए कानपुर में दिनांक 26/09/2023 को जमा किया गया। मेरे द्वारा अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट के चेक संख्या 427420 दिनांक 26/09/2023 से रु॰ 340023.60/- SHCINL 4851092 में जमा कर 340000/- के ई स्टाम्प दिनांक 26/09/2023 को क्रय किये गये। मेरे द्वारा अपने उपरोक्त सेलरी एकाउन्ट के चेक संख्या 427421 दिनांक 27/09/2023 से रु॰ 50000/- निकाल कर रु॰ 48590/- दिनांक 27/09/2023 को रजिस्ट्री आफिस कानपुर में जमा किये गये। दिनांक 27/09/2023 को के॰ डी॰ए कानपुर द्वारा मेरे व मेरी पत्नी सुषमा पाण्डेय के नाम उक्त फ्लैट की रजिस्ट्री की गयी। दिनांक 26/10/2023 को के॰ डी॰ए कानपुर द्वारा उक्त फ्लैट का कब्जा मुझे व मेरी पत्नी को दिया गया।

उक्त फ्लैट के क्रय किये जाने की सूचना सुसंगत प्रपत्रों के साथ प्रेषित की जा रही है। सम्मान सहित

भवदीय,

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

(आलोक पाण्डेय) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।